महत्वपूर्ण

संख्या: 4826-43 / 23(12)–दो / 2013

प्रेषक,

महानिदेशक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड
देहरादून।

सेवा में,

1. अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, गढ़वाल / कुमाऊँ मण्डल।
2. अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल / कुमाऊँ मण्डल।

आकस्मिक निरीक्षण | दिनांक 22 अक्टूबर, 2013

विषय – **दिनांक 21 अक्टूबर, 2013 को विद्यालयों में किये गये आकस्मिक निरीक्षण के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्यक्त विषयक महानिदेशालय द्वारा दिये गये निर्देशानुसार दिनांक 21 अक्टूबर, 2013 को राज्य के विद्यालयों में आकस्मिक निरीक्षण अभियान चलाया गया। मण्डल / जनपदों से प्राप्त सूचना के अनुसार निरीक्षण के दौरान **16 शिक्षक (12 गढ़वाल मण्डल व 04 कुमाऊँ मण्डल) बिना अवकाश स्वीकृति के अनुपस्थित तथा 243 शिक्षक (143 गढवाल व 100 कुमाऊँ मण्डल) शासकीय कार्य से अन्यत्र बताये गये हैं।**

बिना अवकाश स्वीकृति से अनुपस्थित पाये गये शिक्षकों के विरूद्ध उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली–2003 तथा संशोधन नियमावली–2010 के तहत तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित की जाय तथा जो 243 शिक्षक शासकीय कार्य से अन्यत्र बताये गये हैं, उनके सम्बन्ध में मुख्य शिक्षा अधिकारी से प्रमाणित करवायें कि वे निरीक्षण दिवस को शासकीय कार्य से अन्यत्र कहां पर थे। उक्त सूचना निम्न प्रारूप पर तत्काल महानिदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

निरीक्षण अवधि में शासकीय कार्य पर गये शिक्षकों का विवरण

क. सं.	अध्यापक का नाम	पदनाम	विद्यालय का नाम	शासकीय कार्य का विवरण	किसके आदेश से शासकीय कार्य पर गये	अवधि(कब से कब तक)
1	2	3	4	5	6	7

बिना अवकाश स्वीकृति के अनुपस्थित अध्यापकों का विवरण

क.सं.	शिक्षक का नाम	पदनाम	विद्यालय का नाम	सम्बन्धित के विरूद्ध की गई कार्यवाही का विवरण
1	2	3	4	7

मुख्य शिक्षा अधिकारी, चमोली द्वारा यह अवगत कराया गया कि निरीक्षण के समय रा.प्रा.वि. नन्दप्रयाग, दिउडार, बन्दरजूड, सोनला एवं रा.क.जू.हा. लंगासू बन्द पाये गये। इस सम्बन्ध में मुख्य शिक्षा अधिकारी चमोली को निर्देशित किया जाता है कि तत्काल उक्त विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों–अध्यापकों का उक्त तिथि का वेतन रोकते हुये स्पष्टीकरण प्राप्त कर उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली–2003 तथा संशोधन नियमावली–2010 के तहत कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

भवदीय

(राधिका झा) 22/x

महानिदेशक

विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

पृ.सं. 6826-43 /23(12)–दो/2013 तद्दिनांक

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, मा. शिक्षा मंत्री जी उत्तराखण्ड को मा. मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
3. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड को उक्तानुसार अनुपालनार्थ।

(राधिका झा) 22/x.

महानिदेशक

विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड